संख्या : 1538/14-2-2014-800(94)/2014

प्रेषक,

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव,

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ

वन अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 31 अक्टूबर, 2014

विषय- पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 इलाहाबाद द्वारा 765 के0वी0 पारेषण लाईन अल्ट्रा मेगा पॉवर भाग-2 पैकेज जी-2 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद इलाहाबाद में 0.1920 हे0 संरक्षित वन भूमि व 42 वृक्षों के पातन एवं जनपद फतेहपुर में 0.6851 हे0 संरक्षित वन भूमि व 10 वक्षों के पातन कुल 1.6835 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 176 वक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, व एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या-8बी/यूपी/04/77/2012/एफसी/643 दिनांक 27.08.2012 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यूपी/04/77/2014/एफसी/1092 दिनांक 24.09.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 इलाहाबाद द्वारा 765 के0वी0 पारेषण लाईन अल्ट्रा मेगा पावर भाग-2 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद इलाहाबाद में 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 124 वृक्षों के पातन, जनपद प्रतापगढ में 0.1920 हे0 संरक्षित वन भूमि व 42 वृक्षों के पातन एवं जनपद फतेहपुर में 0.6851 हे0 संरक्षित वन भूमि व 10 वृक्षों के पातन कुल 1.6835 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 176 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर
भा0स0 अर्थात 3.367 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर
भा0स0 छोटे पौधें विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा।

(4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत
भा0स0 आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या'5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(5) पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिकनियम 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के एजेक्जर-5 में
भा0स0 दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कडाई से पालन किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/gointra

(6) परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी
भा0स0 प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जायेगी।

(7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
भा0स0

(8) प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं
भा0स0 भरने का कार्य नही किया जायेगा।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन के निमाण के दौरान स्थन पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0 गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिसमें निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्रक आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का
भा0स0 कैम्प नही लगाया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया
भा0स0 जायेगा।

(12) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया
भा0स0 जायेगा और वन पदार्थ की विधिवत बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/राज्य राजस्व कोष में जमा
किया जायेगा।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन
भा0स0 के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।

(14) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की
भा0स0 स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीक़त को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-98/एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-
भा0स0 निर्देश क अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल
डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को शेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(16) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का
भा0स0 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा
लम्बित नही है।

(17) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापति
प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(18) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत
सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध
वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य दयक, प्रतिपूर्ति
पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Found, Management and
Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(19) प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक़त व्यक्तियों के अधीन या उनसे
सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पंहुचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(20) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(21) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार का होगा।

(22) प्रयोक्त अभिकरण को यह वचनज्द्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में व़द्ध होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(23) भारत सरकार के पत्र संख्या- 05-03/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 सितम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(24) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग् फैलिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(25) यदि प्रश्नगत भूमि संरक्षुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(26) भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त शर्त संख्या- 5 के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली, के आदेश संख्या- 7-25/2012-एफसी, दिनांक 05 मई 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(27) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(28) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ ह्रषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0 अलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(3)- मुख्य वन संरक्षक, इलाहाबाद।

(4)- जिलाधिकारी, इलाहाबाद, प्रतापबढ, फतेहपुर।

(5)- प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, इलाहाबाद, प्रतापगढ, फतेहपुर।

(6)- मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 ऑफ अण्डिया लि0 छठवॉ तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाईन इलाहाबाद।

(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एल0 शुक्ला)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra